



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/न्यायिक प्रकरण/2024-28037/

जयपुर, दिनांक

आदेश

श्री संत कुमार मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला जिला बीकानेर की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री मीणा विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 7.6.2021 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग(मुख्यालय) पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राम नारायण बड़गुजर)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
11. जिला कलक्टर, संबंधित।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर।
13. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

RajKaj Ref
7449869

Document certified by RAM NARAIAAN BADGUJAR
<RAS.RNBADGUJAR@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Ram Naraian
Badgujar
Designation: Deputy
Commissioner
Date :23-05-2024 06:21:47